ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत कंदला में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सिंपल कुमारी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्रीमती कामनी	01-04-2022 से 25-07-2023
2.	श्रीमती महेशो देवी	26-07-2023 से 08-12-2023
3.	श्रीमती सीमा देवी	08-12-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8.1	₹14.66
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.2	₹0.02
03.	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका व उपियोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	8.3	---------
04.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9.1	₹17.86
05.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे।	9.2	₹14.56
06.	ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का संधारण न करने बारे ।	10.2	---------

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कंदला का अंकेक्षण, अवधि 04/2019 से 03/2021 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे बार-बार मौखिक आग्रह तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 30-12-2024 द्वारा सचिव को गत पैरों पर की कार्रवाई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया लेकिन इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा कहा कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरों पर शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर कोई भी कार्रवाई

न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये।

वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने उपरान्त।
2.	4.1 व 4.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	5	अनिर्णीत	-
4.	6	अनिर्णीत	-
5.	7	अनिर्णीत	-
6.	8	अनिर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
7.	9	अनिर्णीत	-
8.	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
9.	11	अनिर्णीत	-
10.	12	अनिर्णीत	-
11.	13	अनिर्णीत	-
12.	14	अनिर्णीत	-
13.	15	अनिर्णीत	-
14.	16	अनिर्णीत	-
15.	17	अनिर्णीत	-
16.	18 (क)	अनिर्णीत	-
17.	18 (ख)	अनिर्णीत	-
18.	18 (ग)	अनिर्णीत	-
19.	19	अनिर्णीत	-
20.	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-12-2024 से 04-01-2025 तक ग्राम पंचायत कंदला के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	11/2022	11/2022
2.	2023-2024	04/2023	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 04-01-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत कंदला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (अ) **स्वः-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत कंदला के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्वः-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत SDP & 5th SFC

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	कुल प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	कुल व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**507763.93**	**491588.00**	**999351.93**	**260747.00**	**738604.93**
2023-24	**738604.93**	**247032.00**	**985636.93**	**704440.00**	**281196.93**

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	कुल प्राप्ति (₹)	कुल योग (₹)	कुल व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**1254536.72**	**6436719.42**	**7691256.14**	**6565847.14**	**1125409.00**
2023-24	**1125409.00**	**4768577.13**	**5893986.13**	**4461530.13**	**1432456.00**

कुल योग (1+2) **₹281196.93 + ₹1432456.00 = ₹1713652.93**

(ब) ग्राम पचांयत कंदला, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण।

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024 (₹)
1.	15TH FC	50100338639192	HDFC Chamba	**1393214.30**
2.	14th FC	99050100009247	HPGB Pukhri	**0.00**
3.	IAY	99058100056028	HPGB Pukhri	**20578.00**
4.	RAY /AAY	99058100056089	HPGB Pukhri	**2353.00**
5.	Own Source, 5th & SDP	17910107032	HPSCB Chamba	**331211.93**
			CASH IN HAND	**3450.00**
			TOTAL	**₹1750807.23**

अन्तर (ब-अ) ₹1750807.23 - ₹1713652.93 = ₹37154.30

4.2 वित्तीय वर्ष 2023-2024 के 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण तथा इससे सम्बन्धित पैरों का प्रारूपण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹0.37 लाख का अन्तर :-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत कंदला, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **15(10)(ख)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹37154.30 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 रोकड़ बहियों के रख-रखाव/संधारण में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है तथा निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास हि० प्र० के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-75 दिनांक 24-01-2018 के अंतर्गत समस्त PRIs (पंचायती राज संस्थाओं) को लेखों का रख-रखाव मार्च, 2018 के बाद ऑनलाइन माध्यम में किया जाना अनिवार्य किया गया था।

ग्राम पंचायत कंदला के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल अन्य समस्त अनुदानों की केवल मैनुयल संधारित रोकड़ बहियों को ही अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़

बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 03-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं है अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों 5th SFC व SDP के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक

खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹14.32 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1432456.00 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.49 लाख की वसूली न करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत कंदला के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु

भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹48975 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष (₹)	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल मांग (₹)	कुल प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2022-23	32835	400	20	8000	40835	200	40635
2023-24	40635	417	20	8340	48975	0	48975

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 04-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना:-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्नविवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4700/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	17	09@200	-	1800	08@25	-	200	2000
2023-2024	17	13@200	-	2600	04@25	-	100	2700
कुल योग	**34**	**22@200**	**-**	**4400**	**12@25**	**-**	**300**	**4700**

(ख) पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार अपेक्षित बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिससे कि पंचायत को राशि 600 की वित्तीय हानि हुई **।**

Sr	Regd Sr.no	Name & Sr.No as per Register	Date of Marriage	Date of Registration	Fees should be realised	Fees Charged	Less relisation
1.	03	Sh. Pankaj Kumar	10-05-2023	25-07-2023	400	200	200
.2	07	Sh. Anil Kumar	24-09-2023	23-11-2023	400	200	200
3	09	Sh. Manoj Kumar	09-11-2023	15-12-2023	400	200	200
				Total	**1200**	**600**	**600**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 04-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है तथा बिलम्ब शुल्क के वसूली नहीं गई राशि की प्रतिपूर्ति करके इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹5300(4700+600) की वसूली उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 आपूर्तिकर्ताओं/वेडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹14.66 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी कांट्रेक्टर/वेंडर द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फॉर्म W या X प्रस्तुत करना

अनिवार्य था अन्यथा आपूर्तिकर्ता से रॉयल्टी की वसूली 25 % पेनल्टी के साथ की जानी प्रावधित की गया थी। परन्तु निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 20-11-2023 के अनुसार माननीय हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश के आदेश CWP No. 868 of 2023 की अनुपालना में किसी कांट्रेक्टर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय पर वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था।

परन्तु ग्राम पंचायत कंदला के चयनित माहों के अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से राशि ₹1465580 (संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार) की खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही ली गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त राशि का अनियमित भुगतान किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णत: अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 05 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, किसी भी आपूर्तिकर्ता के पास W, X फॉर्म उपलब्ध न होने के कारण पंचायत द्वारा भुगतान किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त से ऐसा प्रतीत होता है कि, ग्राम पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता सुनिश्चित किये बिना ही भुगतान किया गया, जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: उक्त अनियमितता को समर्थित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹1992 की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (I) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत कंदला के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹99600/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹1992/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

S.	Vr.No/ Date	Grant/ Head	Detail of Supplier	Service Detail	Amount	TDS@ 2%	Applicable act & Section
1	29-30/ 06-08-22	15TH FC	M/S Gopal Tarders VPO Pukhri, Chamba	Hiring Charges of JCB	99600	1992	Income Tax Act 1961 Section 194 I
				TOTAL	**99600**	**1992**	

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.3 ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान संल्गन परिशिष्ट "3" के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी सहायक के पास पड़े हैं। अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹17.86 लाख का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal Guidlines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹1786000 (35.43%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल व्यय (लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय (लाखों में)**	**मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता**	**सामान पर व्यय (लाखों में)**	**सामान पर व्यय प्रतिशतता**
1.	2022-23	54.07	18.54	34.29%	35.53	65.71 %
2.	2023-24	40.75	20.49	50.28 %	20.26	49.72 %
	सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय				**₹1786000**	**+35.43%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 03-01-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹14.56 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत कंदला के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि **₹**1455846 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल कैश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं ? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने

के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर कैश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं ? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे :-

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹3915484.54 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 03-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई

गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 03-01-2025 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत कंदला के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट,बैंक बेलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 02-01-2025 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 ग्राम पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 30-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कुछ का अपूर्ण है।

क्र०	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9.	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	अपूर्ण
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं

11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	06 व 01	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं
13.	e-ग्राम swaraaj संधारित रोकड़बहियाँ	-	-	अपूर्ण

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संधारित न करना व कुच्छ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। चूँकि गत अंकेक्षण में भी इस बारे आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी इसकी पुनरावृत्ति किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/स्टॉक रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक है अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमिता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंदला की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 02-01-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की

सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है। जिससे न केवल नियमों की अवहेलना की गई है अपितु इससे किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। अत: मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

24 FEB 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 24.02.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

1326 – 1330 का0/67

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 91/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत कंदला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 FEB 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 24.02.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/67

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Kandla for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source, SDP & 5th SFC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	507763.93	491588.00	999351.93	260747.00	738604.93
2023-24	738604.93	247032.00	985636.93	704440.00	281196.93

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1254536.72	6436719.42	7691256.14	6565847.14	1125409.00
2023-24	1125409.00	4768577.13	5893986.13	4461530.13	1432456.00

1713652.93

It is certified that GP Kandla has Six cash books out of which 15th FC Online, SF,SDP & 5th SFC General,IAY, AAY/RAY, 14th FC Offline Cash Books Were Produced and MGREGA cash book was not produced during audit

1+2 (281196.93+1432456.00) Closing Balance as per Cash Books		1713652.93
Closing Balance as per Bank Passbook		1750807.23
Difference	(Less in Cash books)	-37154.30

पंत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Kandla for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	5407584.42	5407584.42	5407584.42	0.00
		2023-24	0.00	4160617.13	4160617.13	4160617.13	0.00
2	15TH FC	2022-23	1087078.00	1026820.00	2113898.00	1010798.00	1103100.00
		2023-24	1103100.00	607338.00	1710438.00	300913.00	1409525.00
3	IAY	2022-23	19474.00	546.00	20020.00	0.00	20020.00
		2023-24	20020.00	558.00	20578.00	0.00	20578.00
4	AAY/RAY	2022-23	2227.00	62.00	2289.00	0.00	2289.00
		2023-24	2289.00	64.00	2353.00	0.00	2353.00
5	14th FC	2022-23	145757.72	1707.00	147464.72	147464.72	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2022-23	1254536.72	6436719.42	7691256.14	6565847.14	1125409.00
		2023-24	1125409.00	4768577.13	5893986.13	4461530.13	1432456.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कन्दला
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट "3" पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

Sr.No.	GP	Fin Year	Work Name	Head	Section Amou	Total Exp.	Mb No & Page No.	Status
1	Kandla	2022-23	C/o Play Ground Tareeru	MNREGA	1000000	870894	38151 & 91	Completed
2	Kandla	2022-23	C/o Pro Work Nal Mahadi	MNREGA	497000	473776	4897 & 58	Completed
3	Kandla	2022-23	C/o Soil Conservation Work Dumping Side Bhandar	MNREGA	300000	271961	37870 & 31	Completed
4	Kandla	2022-23	C/o Pro Work Dugh	MNREGA	500000	421242	38151 & 14	Completed
5	Kandla	2022-23	C/o Pro work vill Dhanota	MNREGA	488000	479093	17082 & 7	Completed
6	Kandla	2022-23	C/o Protection Work Village Jhoga	MNREGA	500000	499962	16735 & 75	Completed
7	Kandla	2022-23	C/o Pucca Ambulance Road Hamal to Tikriyala with Drain (Ak sal 4 kam)	MNREGA	1904000	1875090	4907 & 90	Completed
8	Kandla	2022-23	C/o Irrigation Tank vill Kakdotha	MNREGA	99800	85583	37870 & 12	Completed
9	Kandla	2022-23	Co faldar Podhe vill Bhandar	MNREGA	59300	56661	18484 & 27	Completed
10	Kandla	2022-23	C/o Pro work Banjal	MNREGA	434000	425769	38151 & 41	Completed
11	Kandla	2022-23	C/o Link Road Second Atala	15 FC	200000	200000	17083 & 6	Completed
12	Kandla	2022-23	C/o Link Road Dhaar to Mouwa Paka Path	15 FC	147966	147966	17083 & 6-7	Completed
13	Kandla	2022-23	C/o Nikas Nali Tariru	15 FC	112000	112000	17084 & 7	Completed
14	Kandla	2022-23	C/o Papi Laaien Village Kakdotha	15 FC	68000	68000	17085 & 8	Completed
15	Kandla	2022-23	C/o Paka Link Road Sunas Panihar se Kuthar	15 FC	150000	150000	17086 & 9	Completed
					6460066	**6137997**		

सचिव
ग्राम पंचायत कन्डला
विकास खण्ड चम्बा

परिशिष्ट "3" पैरा संख्या 8.3 में सन्दर्भित

Sr.No.	GP	Fin Year	Work Name	Head	Section Amount	Total Exp.	Mb No & Page No	Status
1	Kandla	2023-24	C/o Play Ground Tareeru	MNREGA	1000000	870894	38151 & 91	Completed
2	Kandla	2023-24	C/o Soil Coservation work Dumping site Bhandar (1302003111/FP/8000094610)	MNREGA	300000	271961	37870 & 31	Completed
3	Kandla	2023-24	C/o Pro work Banjal (1302003111/FP/8000101387)	MNREGA	434000	425769	38151 & 41	Completed
4	Kandla	2023-24	C/o Drain Nali Sandli (1302003111/FP/8000110661)	MNREGA	290000	255066	17083 & 20	Running
5	Kandla	2023-24	C/o Drain Nali vill Banjal (1302003111/FP/8000110663)	MNREGA	215000	199513	17083 & 16	Completed
6	Kandla	2023-24	C/o Pro work Ghasitan (1302003111/FP/8000111348)	MNREGA	200000	183823	37870 & 31	Completed
7	Kandla	2023-24	C/o Drain Nali Main Road to River side (1302003111/FP/8000111360)	MNREGA	300000	197468	17083 & 20	Running
8	Kandla	2023-24	C/o Plantation work Kakrotha with Land Pro work (1302003111/FP/8000113063)	MNREGA	492000	480234	4897 & 46	Completed
9	Kandla	2023-24	C/o Roof water Harvesting Tank Vinod kumar s/o nudhu Ram Vill Maua (1302003111/IF/32301457)	MNREGA	99900	56238	37870 & 7	Running
10	Kandla	2023-24	C/o Roof water Harvesting Tank Nar Singh vill Maua (1302003111/IF/32301463)	MNREGA	99900	25003	18484 & 29	Running
11	Kandla	2023-24	C/o Roof Water harvesting Tank Khem Raj Dhar (1302003111/IF/32311591)	MNREGA	99900	53806	18485 & 29	Running
12	Kandla	2023-24	C/o Roof water Harvesting Tank Bhagat Singh vill Dugh (1302003111/IF/32311938)	MNREGA	99900	53806	18486 & 39	Running
13	Kandla	2023-24	C/o Roof water Harvesting Tank Tek Chand s/o Nudhu Ram vill Barolu (1302003111/IF/32311951)	MNREGA	99900	53806	18487 & 42	Running
14	Kandla	2023-24	C/o Land Pro work Tek chand s/o Nidhiya Ram Dhanota (1302003111/IF/8000077115)	MNREGA	99900	97561	18488 & 42	Running
15	Kandla	2023-24	C/o Pucca Ambulance Road Hamal to Tikriyala with Drain (Ak sal 4 kam) (1302003111/RC/8000128084)	MNREGA	1904000	1875090	4907 & 90	Completed
16	Kandla	2023-24	C/o Irrigation Tank vill Kakdotha (1302003111/WC/8000043238)	MNREGA	99800	85583	37870 & 12	Completed
					5834200	5185621		

पंचायत सचिव
ग्रा. पंचायत कन्डला
विकास खण्ड चम्बा

Annexure "4" Refferred in Audit Para 8.1

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP KANDLA TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	78.40	175.62	80685.00
	PO Kandla, Chamba		21-06-2023				
2	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	96.30	215.71	102124.00
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024				
3	M/S Hem Singh	MNREGA	NIL/	Sand	17.50	28.00	49000.00
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024	Aggre.	16.50	32.01	49500.00
4	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	62.00	138.88	68200.00
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024				
5	M/S Hem Singh	MNREGA	NIL/	Stone	30.00	67.20	75000.00
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024				
6	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Stone	12.32	19.71	28800.00
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024				
7	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	12.20	27.33	30500.00
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024	Sand	62.00	99.20	98518.00
				Aggre.	62.00	120.28	98518.00
8	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Aggre.	49.00	95.06	145589.00
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024	Sand	39.00	62.40	103145.00
				Stone	20.50	45.92	22550.00
9	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	125.50	281.12	131764.15
	PO Kandla, Chamba		19-11-2022				
10	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Aggre.	63.84	123.85	74479.00
	PO Kandla, Chamba		23-11-2022	Sand	75.00	120.00	75000.00
				Stone	135.00	302.40	141423.30
11	M/S Vinod Kumar	15th FC	31-36/	Stone	20.75	46.48	22825.00
	PO Kandla, Chamba		21-11-2022	Sand	7.70	12.32	12235.00
				Aggre.	22.30	43.26	35434.00
12	M/S Vinod Kumar	15th FC	51 -52/	Sand	4.59	7.34	7293.00
	PO Kandla, Chamba		24-11-2022	Aggre.	8.18	15.8692	12998.00
				TOTAL	**1020.58**	**2079.96**	**1465580.45**

सचिव
ग्राम पंचायत कन्डला
विकास खण्ड चम्बा

Reflected in Audit Para 9.2

Annexure "5" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Kandla Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	102124.00	Performa Bill
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024			do
2	M/S Hem Singh	MNREGA	NIL/	Sand	49000.00	do
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024	Aggre.	49500.00	do
3	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	68200.00	do
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024			do
4	M/S Hem Singh	MNREGA	NIL/	Stone	75000.00	do
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024			do
5	M/S Naveen Kumar	MNREGA	NIL/	Stone	28800.00	do
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024			do
6	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	30500.00	do
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024	Sand	98518.00	do
				Aggre.	98518.00	do
7	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Aggre.	145589.00	do
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024	Sand	103145.00	do
				Stone	22550.00	do
8	M/S Hem Singh	MNREGA	NIL/	Lemon Plants	50000.00	do
	PO Masroond, Chamba		01-03-2024	500Nos@100		do
9	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Lemon Plants		do
	PO Kandla, Chamba		01-03-2024	220Nos@100	20950.60	do
10	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Stone	131764.15	do
	PO Kandla, Chamba		19-05-2022			do
11	M/S Vinod Kumar	MNGREGA	NIL/	Aggre.	74479.00	do
	PO Kandla, Chamba		23-11-2022	Sand	75000.00	do
				Stone	141423.30	do
12	M/S Vinod Kumar	15th FC	31-36/	Stone	22825.00	do
	PO Kandla, Chamba		21-11-2022	Sand	12235.00	do
				Aggre.	35434.00	do
13	M/S Vinod Kumar	15th FC	51 -52/	Sand	7293.00	do
	PO Kandla, Chamba		24-11-2022	Aggre.	12998.00	do
				TOTAL	1455846.05	

Kumari

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कंडला
विकास खण्ड चम्बा

25